न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /2015 निग / 3866-II-15

(12)

लखन लाल मालवीय आ. श्री पन्नालाल मालवीय
आयु 45 वर्ष निवासी इंदिरानगर सीहोर
कृषक ग्राम कालापहाड़ तहसील व जिला सीहोर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमति रानी बाई पत्नि शिवप्रसाद मालवीय
निवासी इंदिरा नगर सीहोर तहसील व जिला सीहोर ......रेस्पार्डेट

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 11/09/2015 प्रकरण कमांक 1/अ-70/14-15 रानी बाई विरुद्ध लखनलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, सीहोर द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. प्रकरण कमांक 1/अ-70/14-15 आदेश दिनांक 11/09/2015 रानी बाई विरूद्ध लखनलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, सीहोर द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान् जी,

अपीलार्थी आदेश दिनांक 11/09/2015 से प्रभावित एंव दुखी होकर उचित समय सीमा में उचित न्याय शुल्क के साथ अपील प्रस्तुत करता हैः-

. प्रकरण के तथ्य

01. यह कि रेस्पाण्डेंट के द्वारा मिथ्या आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया गया एंव उस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 250 का प्रकरण दर्ज किया गया जिस पर निगरानीकर्ता के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भूमि सर्वे नंबर 19/9/3/3 रकबा 1.265 हेक्टेयर स्थित ग्राम काला पहाड तहसील व जिला सीहोर पर निगरानीकर्ता का स्वत्व व आधिपत्य है इस संबंध में एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गुणा गुण पर आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिसे निम्न विधिक आधारों पर चुनौती दी जाती हैः-

निरंतर पेज 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R -3866-II/2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश लखनलाल / रानीबाई	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4 –01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एन.एस.ठाकुर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 11.9.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित हुए होने की सम्भावना हो। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा मात्र उनके न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण को प्रचलन योग्य मानते हुए अनावेदक के जवाब हेतु नियत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश से यह भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि उभयपक्ष को अपनी बात रखने का एवं पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने योग्य ऐसा कोई आधार आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस पर विचार किया जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 11.9.15 में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	